

पत्रांक -04 / वि०प०वि०-42 / 2013.....451...../ आ०प्र०

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

सुनील कुमार,
विशेष कार्य पदाधिकारी

सेवा में

जिला पदाधिकारी,
पटना।

पटना-15, दिनांक-5/2/14

विषय:-

वज्रपात में मृत व्यक्ति के शव के अंत्य-परीक्षण एवं आप्राथमिकि दर्ज नहीं होने पर अनुग्रह अनुदान भुगतान के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-89/आ०प्र० दिनांक-16.01.2014 के प्रसंग में कहना है कि जिला पदाधिकारी यदि जाँच से संतुष्ट हो कि मृत्यु वज्रपात से हुई है, तो अनुग्रह अनुदान देने में परिपत्र के अनुसार कोई कठिनाई नहीं है।

अतएव उपरोक्तानुसार वज्रपात में मृतक के आश्रितों को अनुग्रह भुगतान संबंधी कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन



(सुनील कुमार)

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक-.....451...../आ०प्र०, पटना-15, दिनांक-5/2/14

प्रतिलिपि-सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक-.....451...../आ०प्र०, पटना-15, दिनांक-5/2/14.

प्रतिलिपि-अवर सचिव, बिहार विधान परिषद्, बिहार विधान परिषद् सचिवालय को उनके पत्रांक-आपदा प्रबंधन पुनर्वास 17/2012-134/वि०प० दिनांक-17-01-14 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।



विशेष कार्य पदाधिकारी